न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/158/2015 वाद — दायर दिनांक 09.07.2015

उनवान

1. श्यामलाल पिता भीमा जाति खटीक निवासी हथियाना तहसील कपासन।

वादी

बनाम

1. भरत कुमार पिता नरेन्द्र कुमार जाति खटीक निवासी हथियाना तहसील कपासन।
2. प्रियंका पिता नरेन्द्र कुमार जाति खटीक निवासी हथियाना तहसील कपासन।
3. मंजु देवी बेवा नरेन्द्र कुमार जाति खटीक निवासी हथियाना तहसील कपासन।
4. तहसीलदार कपासन।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत 53, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 21.10.2020

—:निर्णयः—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजिर। वादी ने वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हथियाना तहसील कपासन की आराजी संख्या 2435, 2436, 2439, 2440, 2441, 2443, 2444 कुल किता 7 कुल रकबा 1.82 हैक्ट0 वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 तक के कब्जे में है। उक्त आराजीयात में वादी का 1/6 व 2/3 हिस्सा है व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/6 हिस्सा है उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जे की है वादी विभाजन करा अपना हिस्सा अलग कराना चाहता है। हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। वादी वकील हाजिर आये व प्रतिवादी संख्या 1,2,3 बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से दिनांक 23/2/2017 को एक तरफा कार्यवाई अमल में लाई गई। पत्रावली में राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 में दिनांक 13.07.2017 को प्राथमिक रूप से निर्णत होकर प्राथमिक डिक्री जारी हुई। प्राथमिक डिक्री की पालना में बटवाड़ा रिपोर्ट प्राप्त होकर प्रस्तुत हुई। जिसमें वादी व वादी अधिवक्ता द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नही की। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत बटवाड़ा रिपोर्ट का अवलोकन किया। बटवाडा रिपोर्ट पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हस्ताक्षर किये व बटवाडा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। वादी द्वारा पूर्व पेशी पर बटवाडा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। तहसीलदार व [illegible] से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.03.31 18:41:42 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन